प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

रिट याचिका सिविल सं 3176/2022

राजेंद्र कुमार जैन पिता श्री मोहन लाल जैन मेसर्स सहेली ज्वैलर्स 65 वर्ष , मेसर्स सहेली ज्वैलर्स के स्वामी, 126,127 आकाश गंगा सुपेला, भिलाई छत्तीसगढ़, निवासी 162 आपापुरा, भोईपारा, गांधी चौक जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1 – भारत संघ संयुक्त के द्वारा निदेशक राजस्व खुफिया निदेशालय (डी. आर. आई.), भारत सरकार, इंदौर क्षेत्रीय इकाई, पहली मंजिल, बी. एस. एन. एल. टेलीफोन एक्सचेंज भवन, परिवहन नगर इंदौर, जिला इंदौर मध्य प्रदेश।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2 – उप निदेशक राजस्व खुफिया निदेशालय, भारत सरकार, रायपुर क्षेत्रीय इकाई, 30, पंचशील नगर, सिविल लाइंस, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

3 – अतिरिक्त/ संयुक्त आयुक्त, सीमा शुल्क बी–जोन , तीसरी मंजिल, 12/27 तथा 12/28, गाँव पिप्लियाकुमार, निपानिया, इंदौर जिला, इंदौर मध्य प्रदेश।452010.

---उत्तरवादीगण

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ता हेतु : : श्री मनीष उपाध्याय तथा श्री प्रभाकर तिवारी, अधिवक्तागण

उत्तरवादीगण हेतु : : श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता

माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

06.05.2025

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष उपाध्याय और श्री प्रभाकर तिवारी तथा उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा को सुना गया।

2. इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) इंदौर जोनल यूनिट (आईजेडयू) द्वारा पारित कारण बताओ नोटिस दिनांक 18.06.2022 पर सवाल उठा रहा है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसे दो व्यक्तियों द्वारा ले जाया जा रहा विदेशी मूल का तस्करी का सोना मिला है, जो कोलकाता से बिलासपुर तक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और गुप्त सूचना के आधार पर उन्हें रोका गया था, हालांकि, केवल एक व्यक्ति को अधिकारियों के दल ने पकड़ लिया और अन्य व्यक्ति, रंजीत सामंत को नहीं पकड़ा जा सका। पकड़े गए व्यक्ति सतीनाथ धारा को पकड़कर डीआरआई के अधिकारियों को सौंप दिया गया। सतीनाथ धारा के कब्जे से लगभग 1 किलोग्राम का एक सोने का बार बरामद किया गया।सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 102 के तहत राजपत्रित अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत तलाशी हेतु एक नोटिस जारी किया गया था तथा उसके बाद, विधि के अनुसार तलाशी तथा जब्ती की गई थी।सतीनाथ धारा द्वारा दी गई सूचना के आधार पर अशोक बेरा अर्थात मेसर्स अंकिता गोल्ड वर्कशॉप के परिसर में तलाशी ली गई, हालांकि, उक्त परिसर से किसी को भी पकड़ा नहीं जा सका। अभियुक्त और अन्य जुड़े हुए व्यक्तियों से प्राप्त जानकारी से, यह पाया गया कि दुकान क्रमांक 126,127 आकाश गंगा, सुपेला भिलाई के मेसर्स सहलेई ज्वेलर्स द्वारा जारी टैक्स इनवॉयस क्रमांक एसबी–17948 दिनांक 20.11.2021 के अनुसार, 50,52,150/– रुपये का फाइन गोल्ड मेसर्स अंकिता गोल्ड वर्कशॉप को बेचा गया है, हालांकि, कोई सामग्री नहीं होने के बावजूद, याचिकाकर्ता को नोटिस किया जा रहा है, जो अपने आप में अवैध है। चूंकि अधिकारियों द्वारा की गई पूरी कार्यवाही परिसीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 124 का उल्लंघन है, इसलिए याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष के साथ यह रिट याचिका दायर की है:–––

" 10.1 यह माननीय न्यायालय कृपया मामले में संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन करने और उसी की वैधता, औचित्य और वैधानिकता की जांच करने के बाद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत परमादेश की प्रकृति में रिट या कोई अन्य रिट या निर्देश जारी करने का निर्देश जारी करने की कृपा कर सकता है, एफ. संख्या डी. आर. आई/आई. जेड. यू /आर. ए. आर. यू /डी. आई./आई. टी–45/ई. एन. क्यू–22/2021 और डी.ई. एन संख्या 2022.06.डीडीजे/32000055D73 और एससीएन संख्या विज्ञापन/आई. जेड. यू./एस. सी. एन–05/2022–23 दिनांक 18.06.2022 में उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा याचिकाकर्ता के संबंध में जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को अवैध, बिना किसी अधिकार क्षेत्र और विधि के अधिकार के रूप में रद्द कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10.2 यह माननीय न्यायालय मामले में सुसंगत दस्तावेजों का अवलोकन करने और उनकी वैधता, औचित्य और वैधानिकता की जांच करने के बाद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत परमादेश की प्रकृति में रिट या कोई अन्य रिट या निर्देश जारी करने की कृपा करे, तथा उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा संचालित किए जाने वाले संभावित न्याय निर्णय की कार्यवाही को अवैध और कानून के किसी भी अधिकार के बिना घोषित करता है।

10.3 कोई अन्य अनुतोष जो यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उचित समझे, कृपया प्रदान की जाए।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी अधिकारी दिनांक 18.06.2022 को कारण बताओ नोटिस जारी करते समय याचिकाकर्ता के खिलाफ पूर्वनिर्धारित हैं, जिसमें अधिकारियों ने पहले ही अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं और याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों के लिए उत्तरदायी बनाया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता पर उक्त कारण बताओ नोटिस में गलत आरोप लगाए गए हैं और पैरा 12.1 (ii) (iv) और (v) में उल्लिखित आरोपों का जवाब देने के लिए कहा गया है क्योंकि उक्त आरोप किसी भी तरह से याचिकाकर्ता से संबंधित नहीं हैं। यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने मेसर्स अंकिता गोल्ड वर्कशॉप के श्री अशोक बेरा को 995 शुद्धता का 1000 ग्राम (1 किलोग्राम) सोना आपूर्ति किया था और उक्त सोना डीआरआई द्वारा मेसर्स अंकिता गोल्ड वर्कशॉप के लिए काम करने वाले श्री सतीनाथ धारा के कब्जे से जब्त किया गया था।इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपने कारोबार के सामान्य क्रम में मेसर्स अंकिता वर्कशॉप के नाम से दिनांक 20.11.2021 को एक बिल जारी किया था, जिसमें शुद्धता 995 बताई गई है, जो कि एक वास्तविक त्रुटि थी, जिसे याचिकाकर्ता के एकाउंटेंट द्वारा दिनांक 20.11.2021 के मुद्रित चालान संख्या एसबी–17948 में ठीक नहीं किया गया और इसे याचिकाकर्ता ने 13.06.2022 को प्रस्तुत किया, जिसमें शुद्धता 999 दर्ज की गई है। आगे यह तर्क दिया गया है कि मेसर्स अंकिता गोल्ड वर्कशॉप के परिसर से 1898 ग्राम की जब्ती के बावजूद कोई सामग्री नहीं है और विधि के अनुसार उक्त आरोप पूरी तरह से मान्य योग्य नहीं है।आगे यह तर्क दिया गया है कि मेसर्स अंकिता गोल्ड वर्कशॉप के परिसर से 1898 ग्राम की जब्ती के बावजूद कोई सामग्री नहीं मिली है और विधि के अनुसार उक्त आरोप पूरी तरह से मान्य योग्य नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के लिए अतिरिक्त आयुक्त सीमा शुल्क, इंदौर द्वारा संचालित किए जाने वाले संभावित न्यायिक कार्यवाही के परीक्षणों और क्लेशों और कठिन परीक्षा से गुजरने का कोई कारण नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था। नोटिस के अवलोकन से, याचिकाकर्ता की संलिप्तता का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, इसके बावजूद, याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है कि उसके और मेसर्स अंकिता गोल्ड वर्कशॉप के बीच व्यापारिक शर्तों के अनुसार, याचिकाकर्ता ने सामान्य व्यवसाय के रूप में बिल जारी किया है और केवल बिल जारी करने के आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तस्करी आदि में शामिल है। चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई पूरी कार्यवाही अवैध और मनमानी है, इसलिए कारण बताओ नोटिस जारी करना ही विधि के अनुसार नहीं है।

4. दूसरी ओर, , उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान याचिका स्वयं में पोषणीय नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता केवल कारण बताओ नोटिस जारी करने के आधार पर इस न्यायालय में आया है।उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारियों के समक्ष दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य के साथ नोटिस का जवाब देना चाहिए था और बदले में, अधिकारी संबंधित सक्षम न्यायाधिकरण के समक्ष इसकी सराहना कर सकते थे। यह तर्क दिया गया है कि 18.06.2022 को कारण बताओ नोटिस सक्षम न्यायाधिकरण के समक्ष न्यायाधिकरण के तहत जारी किया गया था और याचिकाकर्ता न्यायाधिकरण के समक्ष सभी मुद्दों को उठा सकता है, जिसके पास याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई सभी परिवाद पर निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन याचिकाकर्ता को वैधानिक न्यायाधिकरण को दरकिनार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा डब्ल्यूपीटी संख्या 190/2022 **(नाथूराम सुरेन्द्र कुमार जैन बनाम भारत संघ एवं अन्य)** में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया है, जिसमें दिनांक 04.08.2022 के आदेश के तहत न्यायालय ने कारण बताओ नोटिस की कार्यवाही पर रोक लगाने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध, कारण बताओ नोटिस के प्रभाव और संचालन पर रोक लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने रिट याचिका संख्या 137/2022 **(अशोक पी. वाघ बनाम भारत संघ एवं अन्य)** में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 13.01.2022 को निर्णीत निर्णय पर भरोसा करते हुए तर्क दिया है कि वर्तमान रिट याचिका खारिज किये जाने योग्य है, क्योंकि याचिकाकर्ता के पास वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपाय उपलब्ध था।इस मामले में कई विवाद्यक उठाए गए।उन्होंने इस विधि के इस निर्णय पर भरोसा जताते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता को विधि के तहत उपलब्ध वैकल्पिक उपचार का लाभ उठाना होगा।उन्होंने व्यापार कर अधिकारी, **सहारनपुर बनाम रॉयल ट्रेडिंग कंपनी, (2005) 11 एससीसी 518, भारत संघ और अन्य बनाम कनिसेट्टी सत्यनारायण, (2006) 12 एससीसी 28, इंडो असाही ग्लास कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम आयकर अधिकारी और अन्य, (2002) 10 एससीसी 444, विशेष निदेशक और अन्य बनाम मोहम्मद गुलाम गौस और अन्य, (2004) 3 एससीसी 440 और आयकर आयुक्त, गुजरात बनाम विजयभाई एन चंद्रानी, (2013) 14 एससीसी 661 के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भी भरोसा किया है** और साथ ही इस न्यायालय की युगल पीठ द्वारा **वीर भद्र सिंह बनाम भारत संघ और अन्य** के मामलों में 27.06.2019 को डब्ल्यूपीटी संख्या 94/2019 और **मेसर्स आरके एसोसिएट्स एंड होटेलियर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम संघ भारत और अन्य** ने 26.06.2019 को डब्लू पी टी संख्या 22/2019 में के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भी भरोसा किया है। अपने प्रस्तुतीकरण को पुष्ट करने के लिए निर्णय लिया।

6. उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता केवल कारण बताओ नोटिस जारी होने पर ही न्यायालय में आया है, इसलिए, याचिका इस स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है क्योंकि याचिकाकर्ता स्वतंत्र रूप से उस प्राधिकारी के समक्ष अपना परिवाद को उठा सकता है जिसके समक्ष उसे

सुनवाई का अवसर दिया गया है और वह प्राधिकरण के समक्ष परिवाद रखने के बजाय, इस याचिका के साथ न्यायालय में आया है।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, उनके प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया है तथा रिट याचिकाओं के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

8. रिट याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह पता चलता है कि मुख्य रूप से याचिकाकर्ता को जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गई है। उक्त नोटिस के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता और उसके प्रतिनिधियों द्वारा प्रारंभिक प्रस्तुतियाँ दी गई थीं और उन पर विचार करने के बाद, चुनौती के तहत नोटिस जारी किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक उत्तर के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।नोटिस के विवरण से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के कथनों पर भी विचार किया गया था और उसके बाद, मामले के निर्णय से पहले उसे व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर दिया गया था। उक्त नोटिस में यह भी दर्शाया गया है कि मामले को सुनवाई के लिए रखा गया है तथा याचिकाकर्ता को कोई भी आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का अवसर दिया गया था। कारण बताओ नोटिस की भाषा से यह पता चलता है कि प्रारंभिक विचार–विमर्श के बाद, इसे जारी करने वाला प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि याचिकाकर्ता ने उसे प्रदान की गई सेवा के संबंध में कुछ तथ्यों को जानबूझकर छिपाया है। कारण बताओ नोटिस में यह भी कहा गया है कि ऐसे तथ्य तब सामने आए जब अभिलेखों की जांच की गई तथा अभिलेखों की जांच के बाद प्राधिकारी का यह मत था कि तथ्यों को छिपाया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. कारण बताओ नोटिस के अनुसार यदि कुछ तथ्यों को छिपाया गया है, तो ऐसी पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ता के तर्क कि रिट याचिका पर स्वीकृत तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाना आवश्यक है, पर विचार नहीं किया जा सकता है।दबाव से सभी तथ्य नष्ट हो जाते है।यदि कुछ ऐसे तथ्य सामने आते हैं जिन्हें पहले दबा दिया गया था, तो स्वीकार किए गए तथ्य छिद्रपूर्ण हो जाते हैं और नए तथ्य सामने आते हैं जिन पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो सकती है। इस विवाद्यक ने मुख्य रूप से तथ्यों और विधि के मिश्रित प्रश्न पर ध्यान आकर्षित किया है। यदि कुछ ऐसे तथ्य सामने आते हैं जो परदे के पीछे थे, तो किसी विवाद्यक का पूरा आयाम बदल सकता है।

10. दूसरी ओर, कारण बताओ नोटिस को पढ़ने से पता चलता है कि नोटिस जारी करने वाले प्राधिकारी ने उचित रूप से कार्यवाही की है और यह वर्णन किया गया है कि प्राधिकारी तथ्यों की ऐसी वस्तुनिष्ठ संतुष्टि दर्ज करके निष्कर्ष पर क्यों पहुंचा है और कारण बताओ के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा है।

11. **ओरिक्स फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ, 2011 (266) ई.एल.टी. 422 (एस.सी.)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अनुपात निर्धारित किया कि जिस व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, उसे उस स्तर पर उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के बारे में अवश्य बताया जाना चाहिए। यहां कारण बताओ नोटिस से पता चलेगा कि दमन के उन आरोपों पर प्रारंभिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद

ही विचार किया गया है। इसके विपरीत, विषयगत कारण बताओ नोटिस प्राधिकरण के समक्ष आरोपों का खंडन करने और अपनी बेगुनाही साबित करने का अवसर देता है जो ओरिक्स फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) के अनुपात के अनुरूप भी है।उक्त निर्णय का कंडिका 28 यहाँ सुसंगत है तथा नीचे उद्धृत किया गया है:---

"28. इसमें कोई संदेह नहीं है कि कारण बताओ के स्तर पर, जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, उसे उसके विरुद्ध आरोपों के बारे में अवश्य बताया जाना चाहिए ताकि वह अपना बचाव कर सके और अपनी बेगुनाही साबित कर सके।यह स्पष्ट है कि उस स्तर पर आरोप पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी उसे आरोप बताने के बजाय, उसके कथित अपराध के निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा नहीं सकता है। यदि ऐसा किया जाता है, जैसा कि इस मामले में किया गया है, तो कारण बताओ नोटिस द्वारा शुरू की गई पूरी कार्यवाही अनुचितता और पक्षपात से दूषित हो जाती है और बाद की कार्यवाही एक बेकार समारोह बन जाती है।"

12. इसके अलावा **एवीएम स्टूडियो बनाम भारत संघ (यूओआई) और अन्य के मामले में निर्धारित अनुपात के प्रकाश में डब्ल्यू.ए. संख्या 104 और 105/2008 और एम.पी. संख्या 1/2008 जो 11.03.2008 को निर्धारित हुआ,** कारण बताओ नोटिस में याचिकाकर्ता की गतिविधियों पर चर्चा की गई है। जब सुनवाई का अवसर दिया जाता है, तो तथ्यों को स्पष्ट करना याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र में है। इसके बाद, जवाब पर विचार करने के बाद, यदि अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसी गतिविधि कर योग्य सेवा के दायरे में आती है, तो ऐसे मामले में भी चुनौती का विषय हो सकता है।'दमन' शब्द का बार-बार प्रयोग इस तरह की समानता देता है और यदि यह पाया जाता है कि कुछ गतिविधियां जिनका खुलासा नहीं किया गया था और जांच के बाद प्रकाश में आईं, तो निश्चित रूप से अधिकारियों को इस पर निर्णय लेने और निर्धारण करने का अधिकार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. इस स्तर पर, चूंकि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया गया है, इसलिए शुरू में ही कारण बताओ नोटिस को रद्द करने की प्रार्थना उस मुद्दे को दबाने के समान होगी, जिस पर अभी निर्णय होना बाकी है। इसलिए, सीमेन इंडिया लिमिटेड 2007 5 एसटीआर की समानता इस स्थिति को नियंत्रित करता है कि रिट के विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना और कारण बताओ नोटिस की भाषा का मूल्यांकन करके उसे रद्द करना उचित नहीं होगा क्योंकि प्राथमिक रूप से यह नहीं दर्शाता है कि यह क्षेत्राधिकार के बिना है। इसके अलावा, यह मानना गलत होगा कि कारण बताओ नोटिस जारी करने वाले प्राधिकारी ने पूर्व नियोजित मन से काम किया है। कारण बताओ नोटिस में दी गई भाषा और विवरण शुरू में ही इसे रद्द करने का ऐसा आभास नहीं देते हैं। याचिकाकर्ता को न्यायाधिकरण के समक्ष अपना परिवाद प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार है, जिसके द्वारा उसे उपस्थित होने और अपना मामला स्पष्ट करने के लिए नोटिस दिया गया है।

14. मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस राय पर है कि अब तक याचिकाकर्ता रिट याचिका के माध्यम से कारण बताओ नोटिस को चुनौती दे रहा है, जिसमें निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता के पास सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 128 के तहत अपील का उपाय है और उसके बाद सीमा

शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष धारा 129 के तहत अपील का उपाय है। इस याचिका में उठाए गए सभी आधार याचिकाकर्ता के पास अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उठाए जाने के लिए उपलब्ध हैं। अपीलीय प्राधिकारी याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तकनीकी आधारों की सराहना करने के लिए सक्षम है, इसलिए, इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका के तहत कारण बताओ नोटिस में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है।

15. परिणामस्वरूप, इस चरण पर रिट याचिका समय से पहले है और अपील के वैकल्पिक और प्रभावी उपाय के अभाव में खारिज किए जाने योग्य है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अपील दायर की जाती है, तो ऊपर की गई कोई भी टिप्पणी याचिकाकर्ता के काम में बाधा नहीं बनेगी और अपीलीय प्राधिकारी इस आदेश से प्रभावित हुए बिना अपील का निर्णय करेगा।

16. तदनुसार, रिट याचिका को ऊपर बताए गए अवलोकन और निर्देश के साथ खारिज किया जाता है।

सही/–
(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य*

प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur